न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान देवकरण आदि बनाम झूमा आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 1955

प्रार्थना पत्र सं. 48/2012

निर्णय दिनांक 10.12.2024

1. देवकरण पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. मोहरसिंह पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. तिलोकाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. बिसालाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू

— प्रार्थीगण—

बनाम

1. झूमा पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. फुला पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. धापु पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. केशर पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. सन्ता पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. मुली पत्नी पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
7. सन्तलाल पुत्र पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
8. धनाराम पुत्र पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
9. महावीर पुत्र पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
10. सरस्वती पुत्री पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
11. राजु पुत्र पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
12. काली पुत्री पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
13. सुमन पुत्री पूरणाराम जाति मेघवाल निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर जिला चूरू

— अप्रार्थीगण —

उपस्थितिः

1. श्री शंकरदास स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री दिलीप सिंह पंवार एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं0 1 ता 13
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं. 14

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 14 बीघा, खसरा नम्बर 424 तादादी 16 बीघा 7 बिश्वा, खसरा न. 798 तादादी 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 146 तादादी 33 बी[illegible]दादी 97–03 बीघा रोही राजासर बीकान तह. सरदारशहर में ईशरराम [illegible] कौम [illegible] राजासर बीकान के नाम खातेदारी भूमि चली आ रही थी। ईशरराम के पुत्र पुरणाराम [illegible] खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर बीकान की कृषि भूमि प्रार्थीगण को विक्रय करना तय किया गया त[illegible]म का एकमात्र जायज वारिस पुरणाराम होने से उक्त कृ[illegible] भूमि के विक्रय का सौदा [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर की अगुणे पासे की 11000 रूपये में देवकरण व मोहरसिंह के नाम से तथा खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा की आथणे पासे की वादीगण तिलोकाराम व बिसालाराम के नाम से 11000 रूपये में स्टाम्प विक्रय कर डोकोमेन्ट राईटर हमीद खां से दिनांक 23.12.61 को विक्रय पत्र तैयार करवा लिया और अपने हस्ताक्षर कर गवाह के रूप में रावताराम व रामुराम मेघवाल के हस्ताक्षर दोनों विक्रय पत्र पर करवा दिये गये तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि पूरणाराम ने वादीगण प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली गयी। लेकिन पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्राप्त करने पर पता चला कि इन्तकाल पूरणाराम के नाम से इन्द्राज नहीं हुआ है इसलिए दोनों विक्रय पत्र पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं हो सके दोनों ही विक्रय पत्र अपंजीकृत विक्रय पत्र के रूप में रह गये। पूरणाराम ने यह विश्वास दिलाया कि वह अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा कर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दूंगा तथा कृषि भूमि का सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा व खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण को सौंप दिये। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा दिनांक 23.12.61 को कृषि भूमि को काश्त उपयोग उपभोग करने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

कृषि भूमियों की कीमतें बढ़ जाने से तथा पूरणाराम का स्वर्गवास हो जाने से अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और उन्होंने अप्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी है कि वो उक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति को रहन विक्रय आदि करेंगे अगर अप्रार्थीगण अपने इस कुत्सित प्रयास में सफल हो जावेंगे तो प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि से महरूम हो जावेंगे तथा न होने वाला पूरा नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी। इस प्रकार अपूर्तिय क्षति का मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी ने अस्थायी व्यादेश प्राप्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि वे खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही मौजा राजासर बीकान तहसील सरदारशहर की कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, अप्रार्थीगण प्रवेश नहीं करें, कृषि भूमि को रहन, विक्रय हस्तान्तरण नामान्तरण आदि नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य या उपकाग्र नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के दिनांक 23.12.91 से चले आ रहे लगातार कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर पड़े। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पेड़ झाड़ियां आदि नहीं काटें तथा सीमाचिन्ह नष्ट नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने का आदेश पारित किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह पंवार उपस्थित आये। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी सं. 1 ता 13 बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 14 पैरोकार राज को बार–बार अवसर प्रदान करने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। पत्रवाली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी[illegible]गण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन [illegible] प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली [illegible] उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया। [illegible]यालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये है :–

प्रथम दृष्टया मामलाः खसरा नम्बर 405 तादादी 14 बीघा, खसरा नम्बर 424 तादादी 16 बीघा 7 बिश्वा, खसरा न. 798 तादादी 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 146 तादादी 33 बीघा कुल तादादी 97–03 बीघा रोही राजासर बीकान तह. सरदारशहर में ईशरराम वल्द पदमा कौम मेघवाल निवासी राजासर बीकान के नाम खातेदारी भूमि चली आ रही थी। ईशरराम के पुत्र पुरणाराम ने खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर बीकान की कृषि भूमि प्रार्थीगण को विक्रय करना तय किया गया तथा ईशरराम का एकमात्र जायज वारिस पुरणाराम होने से उक्त कृषि भूमि के विक्रय का सौदा किया गया तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर की अगुणे पासे की 11000 रूपये में देवकरण व मोहरसिंह के नाम से तथा खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा की आथणे पासे की वादीगण तिलोकाराम व बिसालाराम के नाम से 11000 रूपये में स्टाम्प विक्रय कर डोकोमेन्ट राईटर हमीद खां से दिनांक 23.12.61 को विक्रय पत्र तैयार करवा लिया और अपने हस्ताक्षर कर गवाह के रूप में रावताराम व रामुराम मेघवाल के हस्ताक्षर दोनों विक्रय पत्र पर करवा दिये गये तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि पूरणाराम ने वादीगण प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली गयी। लेकिन पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्राप्त करने पर पता चला कि इन्तकाल पूरणाराम के नाम से इन्द्राज नहीं हुआ है इसलिए दोनों विक्रय पत्र पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं हो सके दोनों ही विक्रय पत्र अपंजीकृत विक्रय पत्र के रूप में रह गये। पूरणाराम ने यह विश्वास दिलाया कि वह अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा कर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दूंगा तथा कृषि भूमि का सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा व खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण को सौंप दिये। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

सुविधा के संतुलन का सिद्धान्तः खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 14 बीघा, खसरा नम्बर 424 तादादी 16 बीघा 7 बिश्वा, खसरा न. 798 तादादी 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 146 तादादी 33 बीघा कुल तादादी 97–03 बीघा रोही राजासर बीकान तह. सरदारशहर में ईशरराम वल्द पदमा कौम मेघवाल निवासी राजासर बीकान के नाम खातेदारी भूमि चली आ रही थी। ईशरराम के पुत्र पुरणाराम ने खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर बीकान की कृषि भूमि प्रार्थीगण को विक्रय करना तय किया गया तथा ईशरराम का एकमात्र जायज वारिस पुरणाराम होने से उक्त कृषि भूमि के विक्रय का सौदा किया गया तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा रोही राजासर की अगुणे पासे की 11000 रूपये में देवकरण व मोहरसिंह के नाम से तथा खसरा नम्बर 798 तादादी 33–12 बीघा की आथणे पासे की वादीगण तिलोकाराम व बिसालाराम के नाम से 11000 रूपये में स्टाम्प विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि पूरणाराम ने वादीगण प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली गयी। इन्तकाल पूरणाराम के नाम से इन्द्राज नहीं हुआ तथा कृषि भूमि का सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा व खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण को सौंप दिये। दिनांक 23.12.61 को कृषि भूमि को काश्त उपयोग उपभोग करने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः कृषि भूमियों की [illegible] से तथा पूरणाराम का स्वर्गवास हो जाने से अप्रार्थीगण के मन [illegible] अप्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी है कि वो उक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल [illegible] तथा किसी अन्य व्यक्ति को रहन विक्रय आदि करेंगे अगर अप्रार्थीगण अपने इस कुत्सित प्रयास में सफल हो जावेंगे तो प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि से महरूम हो जावेंगे तथा न होने [illegible] पूरा नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी। इस प्रकार अपूर्णिय क्षति का मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद वर्जित किया जाता है कि वो वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 405 तादादी 14 बीघा, खसरा नम्बर 424 तादादी 16 बीघा 7 बिश्वा, खसरा न. 798 तादादी 23–12 बीघा, खसरा नम्बर 146 तादादी 33 बीघा कुल तादादी 97–03 बीघा रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर में प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, अप्रार्थीगण प्रवेश नहीं करें, कृषि भूमि को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण, नामान्तरण आदि नहीं करें। रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थीगण के विरासतन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner